...नय

परमेश्वरी देवी बनाम दुर्गा देवी

...ा नं. 29/2017

3/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रा०पत्र T.I. पर बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रा०पत्र T.I स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में आज तक अप्रार्थी नं. 1, 2 ने जवाब T.I पेश नहीं किया और ना ही बहस हेतु न्यायालय उपस्थित होकर प्रा०पत्र T.I का खण्डन किया। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र (T.I) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 301, 302 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हे. ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर